कृषि विज्ञान केन्द्र,धमोरा,रामपुर

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौ0विवि0,मेरठ

पत्रांक:के0वी0के0 / रामपुर / 472

दिनांक : 22/11/2024

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि विज्ञान केन्द्र,धमोरा,रामपुर पर दिनांक 30/11/2024 को दोपहर 1:00 बजे आम 45, आवला 05, लीची 03, बेल 01, जामुन 01 एवं कटहल 01 कुल – 56 पौधो की नीलामी खुली बोली के आधार पर कृषि विज्ञान केन्द्र धमोरा रामपुर पर की जायेगी । इच्छुक व्यक्ति नीलामी में भाग लेने से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में उक्त बाग को देख सकते हैं । नीलामी में भाग लेने हेतु निम्न शर्ते निर्धारित की जाती हैं–

1.नीलामी जैसा है जहां है के आधार पर की जायेगी। नीलामी के पश्चात् किसी भी प्रकार की सुनवाई नही की जायेगी।

2.नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को बोली बोलने हेतु पात्र बनने के लिए रू0 5000.00 धनराशि दिनांक 30/11/24 को प्रातः 11.00 बजे तक जमां करनी होगी बिना इस शर्त के पूर्ण किये कोई भी व्यक्ति नीलामी में भाग नही ले सकेगा। जिस व्यक्ति के पक्ष में बोली छूटेगी उसे सम्पूर्ण माल की 15 प्रतिशत कीमत नीलामी के तुरन्त बाद जमा करनी हाग्पी। विश्वविघालय से स्वीकृति के उपरान्त 60 प्रतिशत धनराशि जुन 2025/फसल तुडाई से पहले जमा करने के बाद ही तुडाई होगी शेष 25 प्रतिशत धनराशि जुन 2026 से पूर्व जमा करनी होगी।

3.केंद्र के वैज्ञानिक की सलाह/अनुमति के उपरांत ही बाग में जुताई, कीटनाशक,फंफूदनाशक एवं उर्वरक व अन्य सामग्री का प्रयोग प्रक्षेत्र प्रबंधन की उपस्थिति/संज्ञान में लाकर ठेकेदार को स्वयं करनी होगी।

4.बाग में अन्तः फसल के रूप में कोई अन्य फसल बोलीदाता द्वारा नहीं ली जाएगी।

5.केंद्र के प्रक्षेत्र की सिंचाई प्राथमिकता के आधार पर करने के उपरांत ही बाग की सिंचाई हेतु केंद्र द्वारा उपलब्ध ट्यूबवेल/डीजल इंजन में तेल डलवाकर करनी पड़ेगी यदि उस दौरान डीजल इंजन/ट्यूबवेल खराब होता है तो बोलीदाता को ठीक करना होगा एवं वर्ष में दो बार बाग की जुताई करानी अनिवार्य है। जुताई के लिए केंद्र के ट्रैक्टर में बोलीदाता द्वारा डीजल डलवा कर जुताई करवा सकता है।

6.बाग की नीलामी की अवधि दिनांक 01. 04. 2025 से 31 03. 2027 तक की फलत के लिए की जाती है

7.नीलामी समिति किसी भी व्यक्ति को जिसे वह किसी भी कारण से अयोग्य समझती है उसे नीलामी में भाग लेने से रोक सकती है।

8.बाग को ठेकेदार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को बेचने के पर संज्ञान में आने पर नीलामी निरस्त कर दी जाएगी। जिसकी जिम्मेदारी सम्बंधित ठेकेदार की होगी तथा जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

9.बाग के वृक्षों की कटाई–छटाई होने की स्थिति में प्रक्षेत्र प्रबंधक की मांग पर केंद्र की तीन सदस्यों की संस्तुति पर अघोहस्ताक्षरी के अनुमोदन पर की जाएगी।

10.नीलामी समिति को बिना कारण बताएं किसी भी समय नीलामी की संपूर्ण प्रक्रिया को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

11.किसी भी वाद के उत्पन्न होने पर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी एकमात्र मध्यस्थ होंगे जिनका निर्णय दोनों पक्षों को स्वीकार करना होगा।

12.नीलामी से संबंधित कोई भी शुल्क/कर केता को ही देना होगा।

13.बाग की रखवाली या बाग में आने–जाने वाले व्यक्तियों का आधार कार्ड की फोटो कॉपी कार्यालय में जमा कर परिचय पत्र बनवाना होगा बिना परिचय पत्र के प्रवेश निषेध होगा।

प्राध्यापक/अध्यक्ष

Professor & Head
Krishi Vigyan Kendra
Dhamora, Rampur

प्रतिलिपि :

1.वित्तनियंत्रक ,स0व0प0कृ0एवं प्रौ0वि0वि0,मेरठ ।
2.निदेशक प्रसार,स.व.प.कृ0एवं प्रौ0वि0वि0,मेरठ
3.केन्द्र के सूचना पट्ट पर ।
4.स्थानीय बाजार ।
5.व्यक्तिगत् सम्पर्क द्वारा ।